संख्या-22/2018/695/46-1-18-1000(13)/2018

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2018

विषयः- गन्ना विकास योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-83 के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रु. 260.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु **अनुदान संख्या-83** (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित धनराशि रू0 2,60,00,000 (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रशासकीय अनुमोदन सहित, **संलग्नक** के विवरण के अनुसार, जनपदवार/कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये फांट/लक्ष्य के अनुरूप व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्राविधान/ आवंटन किया गया है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा।

3- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-10 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

8- गन्ना आयुक्त, उ.प्र. एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

9- योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

10- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

12- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के **अनुदान संख्या-83** के अर्न्तगत लेखा शीर्ष **''2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-07/26-ब0प्र02015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-22/2018/695(1)46-1-18-1000(13)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
14- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-22/2018/ 695 / 46-1-18-1000(13)/2018, का संलग्नक दिनांक 05 अप्रैल, 2018

गन्ना विकास की योजना(जिला योजना) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या&83 (अनुसूचित जाति) के लिए एवं वानिकी कार्य हेतु 0.50 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि की कार्यक्रमवार जनपदवार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृत हेतु।

(धनराशि रु०में०)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	अभिजनक बीज यातायात कर्यक्रम	आधार बीज यातायात कार्यक्रम	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम	बायोफर्टिलाईजर/ वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम	वानिकी कार्यक्रम हेतु	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	151250.00	386725.00	5070.00	21231.00	184500.00	171000.00	144000.00	5225.00	1069001.00
2	मुजफ्फरनगर	216950.00	554425.00	7050.00	30359.00	250000.00	240600.00	184800.00	7461.00	1491645.00
3	शामली	88550.00	226325.00	2880.00	12390.00	102500.00	98100.00	75000.00	3045.00	608790.00
योग मण्डल		**456750.00**	**1167475.00**	**15000.00**	**63980.00**	**537000.00**	**509700.00**	**403800.00**	**15731.00**	**3169436.00**
4	मेरठ	198350.00	506825.00	6450.00	27748.00	228500.00	219900.00	168600.00	6820.00	1363193.00
5	बागपत	117450.00	300200.00	3810.00	16436.00	135500.00	130200.00	99600.00	4040.00	807236.00
6	गाजियाबाद	30450.00	77825.00	990.00	4256.00	35000.00	33750.00	25800.00	1047.00	209118.00
7	हापुड़	40650.00	103875.00	1320.00	5684.00	46500.00	45000.00	34200.00	1398.00	278627.00
8	बुलन्दशहर	90000.00	230025.00	2925.00	12593.00	103500.00	99750.00	76200.00	3095.00	618088.00
योग मण्डल		**476900.00**	**1218750.00**	**15495.00**	**66717.00**	**549000.00**	**528600.00**	**404400.00**	**16400.00**	**3276262.00**
9	मुरादाबाद	95250.00	243500.00	3090.00	13328.00	109500.00	105600.00	81000.00	3275.00	654543.00
10	रामपुर	49350.00	126150.00	1605.00	6902.00	56500.00	54600.00	42000.00	1697.00	338804.00
11	अमरोहा	113750.00	290725.00	3690.00	15918.00	131000.00	126150.00	96600.00	3912.00	781745.00
12	बिजनौर	349700.00	893775.00	11550.00	48937.00	403500.00	387750.00	298200.00	12026.00	2405438.00
13	सम्भल	63100.00	161275.00	2040.00	8827.00	72500.00	69900.00	53400.00	2170.00	433212.00
योग मण्डल		**671150.00**	**1715425.00**	**21975.00**	**93912.00**	**773000.00**	**744000.00**	**571200.00**	**23080.00**	**4613742.00**
14	बरेली	153950.00	393425.00	4995.00	21630.00	177500.00	170700.00	130800.00	5294.00	1058294.00
15	बदायूं	37750.00	96500.00	1215.00	5285.00	43500.00	41850.00	31800.00	1298.00	259198.00
16	पीलीभीत	144350.00	368850.00	4695.00	20195.00	166500.00	160050.00	123000.00	4963.00	992603.00
17	शाहजहांपुर	134800.00	344500.00	4380.00	18865.00	155500.00	149400.00	114600.00	4636.00	926681.00
18	कासगंज	8250.00	21050.00	255.00	1148.00	9500.00	9000.00	6600.00	283.00	56086.00
19	मथुरा	650.00	1625.00	15.00	84.00	500.00	600.00	0.00	21.00	3495.00
20	अलीगढ	19600.00	50075.00	630.00	2737.00	22500.00	21600.00	16200.00	674.00	134016.00
योग मण्डल		**499350.00**	**1276025.00**	**16185.00**	**69944.00**	**575500.00**	**553200.00**	**423000.00**	**17169.00**	**3430373.00**
21	लखीमपुर खीरी	474450.00	1212475.00	15435.00	66395.00	547500.00	526050.00	404400.00	16317.00	3263022.00
22	सीतापुर	279750.00	714875.00	9090.00	39144.00	322500.00	310200.00	238200.00	9620.00	1923379.00
23	रायबरेली	4550.00	11650.00	135.00	637.00	5000.00	4950.00	3600.00	156.00	30678.00
24	फरूर्खाबाद	16400.00	41925.00	525.00	2296.00	18500.00	18150.00	13800.00	564.00	112160.00
25	हरदोई	80200.00	205000.00	2610.00	11221.00	92500.00	88950.00	68400.00	2758.00	551639.00
26	कानपुर	11950.00	30475.00	375.00	1666.00	13500.00	13200.00	9600.00	410.00	81176.00
योग मण्डल		**867300.00**	**2216400.00**	**28170.00**	**121359.00**	**999500.00**	**961500.00**	**738000.00**	**29825.00**	**5962054.00**
27	फैजाबाद	56500.00	144400.00	1830.00	7903.00	65000.00	62550.00	48000.00	1943.00	388126.00
28	सुल्तानपुर	14350.00	36600.00	465.00	2002.00	16500.00	15750.00	12000.00	492.00	98159.00
29	बाराबंकी	15400.00	39275.00	495.00	2149.00	17500.00	16950.00	12600.00	528.00	104897.00
30	जौनपुर	4750.00	12125.00	150.00	658.00	5000.00	5250.00	3600.00	163.00	31696.00
31	गाजीपुर	6400.00	16350.00	195.00	889.00	7000.00	7050.00	5400.00	220.00	43504.00
32	वाराणसी	4650.00	11875.00	150.00	644.00	5000.00	5100.00	3600.00	159.00	31178.00
33	अम्बेडकरनगर	33600.00	85900.00	1080.00	4704.00	38500.00	37200.00	28200.00	1156.00	230340.00
योग मण्डल		**135650.00**	**346525.00**	**4365.00**	**18949.00**	**154500.00**	**149850.00**	**113400.00**	**4661.00**	**927900.00**
34	गोण्डा	115500.00	295100.00	3750.00	16156.00	133000.00	127950.00	98400.00	3971.00	793827.00
35	बलरामपुर	143550.00	366825.00	4665.00	20111.00	165500.00	159150.00	122400.00	4936.00	987137.00
36	बहराईच	112400.00	287200.00	3645.00	15722.00	129500.00	124500.00	95400.00	3865.00	772232.00
योग मण्डल		**371450.00**	**949125.00**	**12060.00**	**51989.00**	**428000.00**	**411600.00**	**316200.00**	**12772.00**	**2553196.00**
37	गोरखपुर	4000.00	10225.00	120.00	560.00	4500.00	4350.00	3000.00	137.00	26892.00
38	बस्ती	87100.00	222525.00	2820.00	12180.00	100000.00	96450.00	73800.00	2994.00	597869.00
39	महराजगंज	26950.00	68825.00	870.00	3766.00	31000.00	29850.00	22800.00	926.00	184987.00
40	सिद्धार्थनगर	1850.00	4700.00	60.00	252.00	2000.00	1950.00	1200.00	63.00	12075.00
योग मण्डल		**119900.00**	**306275.00**	**3870.00**	**16758.00**	**137500.00**	**132600.00**	**100800.00**	**4120.00**	**821823.00**
41	कुशीनगर	125600.00	320950.00	4080.00	17570.00	144500.00	139200.00	106800.00	4319.00	863019.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

42	देवरिया	12400.00	31625.00	390.00	1729.00	14000.00	13650.00	10200.00	425.00	84419.00
43	मऊ	15700.00	40175.00	510.00	2198.00	18000.00	17400.00	13200.00	540.00	107723.00
44	बलिया	5500.00	14150.00	180.00	770.00	6000.00	6000.00	4200.00	190.00	36990.00
45	आजमगढ	22350.00	57100.00	720.00	3125.00	25500.00	24700.00	18800.00	768.00	153063.00
योग मण्डल		**181550.00**	**464000.00**	**5880.00**	**25392.00**	**208000.00**	**200950.00**	**153200.00**	**6242.00**	**1245214.00**
सम्पूर्ण योग		**3780000.00**	**9660000.00**	**123000.00**	**529000.00**	**4362000.00**	**4192000.00**	**3224000.00**	**130000.00**	**26000000.00**

(रू० दो करोड़ साठ लाख मात्र)

नोटः& जनपद शामली] हापुड] सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी] मुजफ्फरनगर] गाजियाबाद] मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है